न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 21/2023
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 25.01.2023
निर्णय दिनांक – 10.01.2025

अनवान

1. हीरालाल पिता पूनमचन्द महाजन निवासी राजनगर तह. व जिला राजसमन्द।

......................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द।

......................विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री एस के मेहता, डी के मेहता
विपक्षी – पेरोकार राज

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राजनगर तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1711 भूमि प्रार्थी की स्वामित्व व आधिपत्य की होकर दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके पूर्व मे आराजी नम्बर 1911/1711 एवं पश्चिम मे आराजी नम्बर 1710, उत्तर मे आराजी नम्बर 2042/1710 एवं दक्षिण मे आराजी नम्बर 2042/1711 स्थित है। आराजी संख्या 1711 एवं आराजी नम्बर 1911/1711 सही स्थान पर अंकित है। आराजी नम्बर 1911/1711 नेशनल हाईवे रोड मे चली गई है। आराजी नम्बर 1911/1711 एवं आराजी नम्बर 1711 का कम्प्युटराईज्ड नक्शे में त्रुटिवश स्थान परिवर्तन होकर आराजी नम्बर 1911/1711 के स्थान पर आराजी नम्बर 1711 एवं आराजी नम्बर 1711 के स्थान पर आराजी नम्बर 1911/1711 का अंकन हो गया है जो भी केवल कम्प्युटराईज्ड नक्शे में ही अंकित हुआ है परम्परागत नक्शा ट्रेस में अभी उक्त दौनो आराजियात अपने सही स्थान पर ही अंकित है, जिसे बदला जाना नितांत आवश्यक है अन्यथा भविष्य में दिक्कत पेश आ सकती है और अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढकर वैमनस्यता बढ़ सकती है। प्रार्थी के नाम ग्राम सनवाड़ की नामान्तरण संख्या 404 दिनांक 21.06.1990 से आराजी नम्बर 1712 रकबा 00–10 बीघा भूमि दर्ज हुई। नामान्तरण संख्या 766 दिनांक 24.04.1995 से उक्त आराजियात में से 0–08–10 बीघा भूमि आवासीय रूपान्तरण हुई जिसके नवीन आराजी नम्बर 1711/1 रकबा 0–08–10 आबादी (आवासीय) बने तथा आराजी नम्बर 1711 मी. रकबा 0–01–10 जाव ग्र. हीरालाल पिता पूनमचन्द महाजन सा. राजनगर के नाम शेष रहा। आराजी नम्बर 1711 में आबादी रूपान्तरण के दो पट्टो का एक ही नामान्तरण ना.स. 766 खुला परन्तु राजस्व नक्शे में उक्त आबादी पट्टा भूमि की तरमीम करते समय सहवन से एक ही आबादी पट्टे की तरमीम हुई व आबादी रूपान्तरण का पूरा रकबा उसी में समाहित कर दिया गया तथा उसको नया नम्बर 1711/1 दिया गया जो कि वर्तमान में 2042/1711 बन गया शेष रकबा आराजी नम्बर 1711 रकबा 0–01–10 खातेदार के नाम पर कृषि भूमि के मुकाबले राजस्व नक्शे में तरमीम त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गई। अतः आराजी नम्बर 1711 व 2042/1711 का नक्शा ऑनलाईन से पूर्व त्रुटिपूर्ण अंकन को भी सुधारा जावें तथा ऑनलाईन नक्शे में आ.नं. 1911/1711 आ.नं. 1711 की जगह अंकित फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी सरकार की और से तहसीलदार राजसमन्द ने प्रार्थना पत्र के क्रम मे जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सनवाड के आ. नं. 1711 रकबा 0.0121 हैक्टेयर किस्म जाव 1 हीरालाल पिता पुनमचन्द महाजन के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं एवं आ.नं. 1911/1711 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म सड़क भारतीय राजसंघ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रासपोर्ट रोड़ सिलिंग हि. पूर्ण विभागीय खाते के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा पूर्व उक्त आ.नं. 1711 रकबा 0.0809 हैक्टेयर (10 बिस्वा) में से 0–08–10 बीघा कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (भू–अ.) राजसमन्द के आदेश क्र. भू–अ./पत्रावली सं. /320/92 दिनांक 26.07.1993 से 570 वर्ग गज व मिसल नं. 180/92 से 238 वर्ग गज का

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

आवासीय रूपान्तरण किया जिसका अमल ग्राम सनवाड़ के ना. सं. 766 दिनांक 24.02.1995 से उक्त दोनों रूपान्तरण किये गये जिसके वर्तमान में नवीन आ. नं. 2042/1711 है जो कि किस्म आबादी होकर बिलानाम सरकार अधिनस्थ नगर परिषद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वक्त नामान्तरण दर्ज में आबादी रूपान्तरण का पुरा रकबा समाहित करते हुए सहवन से राजस्व नक्शे में एक ही आबादी पट्टे की तरमीम हुई। आ. नं. 1711 व 2042/1711 की तरमीम नक्शा ऑनलाईन होने से पूर्व वक्त ना. सं. 766 से ही सहवन से त्रुटिपूर्ण था तथा सेग्रीगेशन के दौरान पूनः ऑनलाईन नक्शे में सहवन से आ. नं. 1711 की जगह 1911/1711 व 1911/1711 की जगह 1711 अंकित हो गया। प्रार्थी उक्त प्रकरण में शुद्धि चाहता हैं। मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही है। पर्चे मौके के साथ संलग्न मौके अनुसार प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किया जाना उचित होगा।

हमने अधिवक्ता को सुना जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम राजनगर तहसील राजसमन्द के आराजी नम्बर 1711 व 2042/1711 का नक्शा ऑनलाईन से पूर्व त्रुटिपूर्ण अंकन को भी सुधारा जावें तथा ऑनलाईन नक्शे में आ.नं. 1911/1711 आ.नं. 1711 की जगह अंकित फरमाया जावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2077 अनुसार राजस्व ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1711 भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होने की ताईद होती है। प्रार्थी का कथन है कि कम्प्युटराईज्ड नक्शे में त्रुटिवश स्थान परिवर्तन होकर आराजी नम्बर 1911/1711 के स्थान पर आराजी नम्बर 1711 एवं आराजी नम्बर 1711 के स्थान पर आराजी नम्बर 1911/1711 का अंकन हो गया है उक्त त्रुटि को दुरस्त किया जाकर सही अंकन किया जावे। तहसीलदार राजसमन्द ने जवाब मे कथन किया है कि सेग्रीगेशन के दौरान पूनः ऑनलाईन नक्शे में सहवन से आ. नं. 1711 की जगह 1911/1711 व 1911/1711 की जगह 1711 अंकित हो गया। प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किया जाना उचित होगा। अतः तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनिम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1711 एवं 1911/1711 के ऑनलाईन नक्शे मे तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त तरमीम संशोधन हेतु प्रस्तावित संशोधित तरमीमशुदा नक्शे अनुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

(Stamp: सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमंद)

उक्त आदेश आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

(Stamp: सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द)

Scanned with ACE Scanner